पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1463
दिनांक-16.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- ***थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कराई गयी।***

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा, एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री बबलू कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के प्रभावी मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष निगोहाँ श्री रवीन्द्र कुमार के नेतृत्व में थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा गुंडा अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त सर्वजीत पुत्र रामकिशोर, निवासी ग्राम भगवानपुर थाना निगोहाँ, पुलिस कमिश्रेट लखनऊ के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

02-संक्षिप्त विवरण-

उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अभियुक्त सर्वजीत पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम भगवानपुर थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र लगभग 24 वर्ष मारपीट,गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जिसके विरुद्ध थाना निगोहाँ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके आचरण के आधार पर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत कार्यवाई की गई। उक्त प्रकरण में वाद सं0-102(20)/2026 के संबन्ध में कार्यवाई न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त,कानून एवं व्यवस्था,लखनऊ के समक्ष की गई।

गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाई के संबन्ध में थाना निगोहाँ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर पहुंचकर डुगडुगी बजवाकर आसपास के लोगो को कार्यवाई से अवगत कराया गया तथा अभियुक्त के मकान की दीवार पर संबन्धित आदेश की प्रति को चस्पा किया गया। पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई निरोधात्मक कार्यवाई है।

03-अभियुक्त का विवरण-

01-सर्वजीत पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम भगवानपुर थाना निगोहाँ पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ उम्र लगभग 24 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0-315/2019,धारा-323,504,506 भादवि थाना निगोहाँ,लखनऊ
- मु0अ0स0-33/2023,धारा-323,504,506 भादवि थाना निगोहाँ,लखनऊ
- मु0अ0स0-192/2025,धारा-115(2),352,351(3) बीएनएस थाना निगोहाँ,लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-.1462

दिनांक-16.08.2026

जोन-उत्तरी / थाना रहीमाबाद एवं थाना अलीगंज

- **ऑपरेशन किरण के अंतर्गत पारिवारिक विवादों का काउंसलिंग एवं मध्यस्थता के माध्यम से कराया गया शांतिपूर्ण समाधान**

संक्षिप्त विवरण-

पुलिस उपायुक्त उत्तरी, कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन किरण के अंतर्गत थाना पुलिस एवं मिशन शक्ति केन्द्र की टीमों द्वारा पारिवारिक एवं आपसी विवादों में संवाद, काउंसलिंग एवं सकारात्मक परामर्श के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराकर परिवारों एवं रिश्तों को टूटने से बचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना मलिहाबाद एवं थाना अलीगंज पुलिस द्वारा निम्न प्रकरणों में सफल मध्यस्थता कराकर दोनों पक्षों के मध्य सुलह-समझौता कराया गया।

01. थाना अलीगंज – पति-पत्नी के मध्य विवाद का सफल निस्तारण

काउंसलिंग के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र की टीम द्वारा पति-पत्नी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा दोनों के मध्य सकारात्मक संवाद स्थापित कर आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रभावी काउंसलिंग एवं समझाइश के फलस्वरूप दोनों पति-पत्नी अपने मतभेद भुलाकर आपसी सहमति से पुनः साथ रहने के लिए सहमत हुए।

मिशन शक्ति केन्द्र थाना अलीगंज की टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य सुलह-समझौता कराते हुए उन्हें आपसी प्रेम, सौहार्द एवं विश्वास के साथ पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाने हेतु सकुशल उनके घर रवाना किया गया। मिशन शक्ति केन्द्र की इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की गई।

मध्यस्थता कराने वाली टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री विनय मिश्रा, थाना अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. म0उ0नि0 श्री प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0हे0का0 किरण साहू, थाना अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

02. थाना रहीमाबाद – पति-पत्नी के मध्य विवाद का सफल निस्तारण

ऑपरेशन किरण के तहत पुलिस उपायुक्त महोदय, उत्तरी कमिश्नरेट की पहल पर मिशन शक्ति केन्द्र थाना रहीमाबाद में पारिवारिक विवाद के कारण पति-पत्नी के मध्य उत्पन्न आपसी मनमुटाव का काउंसलिंग एवं मध्यस्थता के माध्यम से सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। काउंसलिंग के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र की टीम द्वारा पति-पत्नी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा दोनों के मध्य सकारात्मक संवाद स्थापित कर आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रभावी काउंसलिंग एवं समझाइश के फलस्वरूप दोनों पति-पत्नी अपने मतभेद भुलाकर आपसी सहमति से पुनः साथ रहने के लिए सहमत हुए। मिशन शक्ति केन्द्र थाना रहीमाबाद की टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य सुलह-समझौता कराते हुए उन्हें आपसी प्रेम, सौहार्द एवं विश्वास के साथ पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाने हेतु सकुशल उनके घर रवाना किया गया। मिशन शक्ति केन्द्र की इस पहल की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की गई।

मध्यस्थता कराने वाली टीमः-

1. उ0नि0 उमाशंकर यादव, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. म0का0 सुर्मिला, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1464

दिनांक-16.08.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **पिस्टल दिखाकर रुपये लूटने, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले 01 अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से ₹90,200/- नगद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **15.08.2026** को वादी मुकदमा मो0 मोहसिन पुत्र स्व0 इमरान निवासी खोखी टोला, अकबरी गेट, थाना नक्खास, लखनऊ द्वारा थाना वजीरगंज पर तहरीर दी गई कि नामित अभियुक्तगण **शावेज, अरशद, साद कुरैशी, कैफ एवं सलमान** द्वारा वादी को पिस्टल दिखाकर डराते-धमकाते हुए रुपये ले लिये तथा उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं जान-माल की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर **मु0अ0सं0-208/2026, धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/61(2)/333/308(5) भा0न्या0सं0** पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा **24 घण्टे के अन्दर** नामित अभियुक्त **सलमान पुत्र इलियास, उम्र करीब 33 वर्ष** को आज दिनांक **16.08.2026 को** उसके निवास स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **₹90,200/- नगद** बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों के कहने पर उनके साथ गया था तथा उससे गलती हो गई।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सलमान पुत्र इलियास नि0-चारबत्ती चौराहा गैलेक्सी अपार्टमेन्ट के बगल में थाना वजीरगंज लखनऊ उम्र 33 वर्ष।

04-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0-208/2026 धारा 191(2)/190/115(2)/352/ 351(3)/61(2)/333/308(5) BNS थाना वजीरगंज लखनऊ

06-बरामदगी विवरण –

- 90,200/- रुपये

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -

1. **श्री राजेश कुमार त्रिपाठी**, प्रभारी निरीक्षक, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. **उ0नि0 श्री मोनेश कुमार**, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. **उ0नि0 श्री हैप्पी दिवाकर**, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. **का0 प्रेमचन्द्र**, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1461

दिनांक-16.08.2026

जोन-उत्तरी / थाना- सैरपुर

- **मोटर साईकिल चोरी करने वाले 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **बाल अपचारियों के पास से चोरी की मोटर साईकिल बरामद।**

01.संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03/07/2026 को श्री जयंत सिंह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश सिंह निवासी हाल पता छठामील तिवारीपुर नागेश्वरनाथ कॉलोनी लखनऊ मूल पता किदवईनगर थाना बाबूपुरवा कानपुर द्वारा 01/07/2026 समय करीब 19.30 बजे छठामील बाजार के सब्जी मण्डी के पास से स्वयं की मोटर साईकिल हीरो स्प्लेंडर वाहन सं0-UP78GV2360 चोरी हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना सैरपुर पर मु0अ0सं0-76/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत की गई घटना के बाद से लगातार चोरी गई मोटर साईकिल व अज्ञात चोरो की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.08.2026 को समय करीब 21.30 बजे पुलिस टीम द्वारा 02 बाल अपचारी को क्रमश: एक बाल अपचारी को भिठौली क्रासिंग के पहले से व दूसरे को अभिरक्षा में लिए गये बाल अपचारी के निशादेही पर उसके घर ग्राम चकगंजागिरी तकिया थाना बीकेटी लखनऊ से पुलिस संरक्षण में लिया गया। बाल अपचारीगण के निशादेही पर चोरी गये वाहन हीरो स्प्लेंडर वाहन सं-UP78GV2360 को बरामद किया गया। पुलिस संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 76/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सैरपुर, लखनऊ।

03-पुलिस संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी का विवरण-

1. बाल अपचारी उम्र लगभग 15 वर्ष
2. बाल अपचारी उम्र लगभग 16 वर्ष

04-बरामदगी

- चोरी हुई मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 78 GV 2360 हीरो स्प्लेंडर

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार कोरी थाना सैरपुर, लखनऊ
2. उ0नि0 श्री राम देव थाना सैरपुर, लखनऊ
3. उ0नि0 घन श्याम गौतम थाना सैरपुर, लखनऊ
4. म0उ0नि0 अंजना देवी थाना सैरपुर, लखनऊ
5. का0 दिलीप कुमार द्विवेदी थाना सैरपुर, लखनऊ
6. म0का0 साधना सिंह चौहान थाना सैरपुर , लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1465

दिनांक-16.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

- **अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र में शामिल होकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने के एवज में ₹01 लाख प्राप्त करना स्वीकार किया गया।**
- **प्रकरण में पूर्व में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।**
- **प्रकरण में वांछित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।**

01-कार्यवाही का विवरण-

पुलिस आयुक्त लखनऊ **श्री तरुण गाबा** के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री मो0 मुश्ताक** के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार** एवं सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज **श्री राजेश कुमार सिंह** के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज **श्री राम बाबू सिंह** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक **03.09.2025** को शिकायतकर्ता **अरुण कुमार शुक्ला पुत्र पुत्तीलाल शुक्ला निवासी ग्राम करोरा, थाना नगराम, लखनऊ** द्वारा थाना मोहनलालगंज पर शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उनकी नानी **श्रीमती गंगोत्री देवी पत्नी स्व0 रघुनाथ प्रसाद अवस्थी** द्वारा अपनी संपूर्ण भूमि दिनांक **11.12.1998** को शिकायतकर्ता के नाम वसीयत की गई थी। उक्त वसीयत के आधार पर दिनांक **23.08.2000** को तहसील मोहनलालगंज में भूमि का नामांतरण भी शिकायतकर्ता के नाम किया गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार **लिपिकीय त्रुटि के कारण ग्राम रकीबाबाद स्थित गाटा संख्या 425, 439 एवं 443** की भूमि पर शिकायतकर्ता के नाम के स्थान पर **अकल कुमार गुप्ता पुत्र पुत्तीलाल गुप्ता** का नाम दर्ज हो गया था, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम करोरा में निवास नहीं करता है।

आरोप है कि उक्त लिपिकीय त्रुटि का लाभ उठाकर **भगौती लाल निवासी ग्राम चौतरा, मितौली आदमपुर** द्वारा अकल कुमार गुप्ता के नाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दिनांक **21.06.2025** को उक्त भूमि का विक्रय अपनी पत्नी **महेश्वरी** के नाम करा लिया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि के सम्बन्ध में बैनामा **अब्दुला मोइंद, असद मोइद, आयुष, मो0 हकीम एवं पुनीत वर्मा** के नाम किए जाने की बात शिकायत में बताई गई।

शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि उक्त रजिस्ट्री एवं बैनामे **कूटरचित दस्तावेजों एवं षड्यंत्र के आधार पर** किए गए तथा इसमें **सुधीर पुत्र राजू निवासी ग्राम बहरौली, थाना नगराम, लखनऊ** सहित अन्य व्यक्ति भी संलिप्त हैं।

शिकायत के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर **मु0अ0सं0-343/2025, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2)/61(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए।

प्रकरण में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि की धोखाधड़ीपूर्ण बिक्री कराने के सम्बन्ध में पूर्व में **फर्जी गवाही देने वाले अभियुक्त सुधीर पुत्र राजू को दिनांक 25.10.2025** को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा **फर्जी अकल कुमार गुप्ता बनने वाले अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 मोहनलाल निवासी ग्राम छिबऊखेड़ा, थाना मोहनलालगंज** को दिनांक **04.11.2025** को गिरफ्तार किया गया था।

विवेचना के दौरान अभियुक्त **अरुण कुमार उर्फ टोपीलाल** का नाम प्रकाश में आया, जिसके द्वारा शुभम सिंह के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कराया जाना प्रकाश में आया। अभियुक्त अरुण कुमार की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

आज दिनांक **16.08.2026** को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **अरुण कुमार उर्फ टोपीलाल** को **अतरौली तिराहा, थाना मोहनलालगंज क्षेत्र, लखनऊ** से समय करीब **12:20 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा उक्त षड्यंत्र में शामिल होने के एवज में **₹01 लाख प्राप्त करना** बताया गया है।

प्रकरण में वांछित अभियुक्त **1. शुभम सिंह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम जौखण्डी, थाना गोसाईगंज, लखनऊ एवं 2. रामबहादुर पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम देवती, थाना नगराम, लखनऊ** की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

03-पूछताछ का विवरण

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसके द्वारा **शुभम सिंह के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज तैयार कराए गए थे**, जिसके एवज में उसे **₹01 लाख** प्राप्त हुए थे।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अरुण कुमार उर्फ टोपीलाल पुत्र स्व0 शम्भू प्रसाद, निवासी ग्राम ईश्वरीखेड़ा मजरा भौरा खुर्द, थाना नगराम, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 38 वर्ष। **व्यवसाय- प्रॉपर्टी डीलर।**

05-आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-136/2017, धारा 323/452/504/506 भादवि, थाना नगराम, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-249/2017, धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम, थाना नगराम, लखनऊ।

06- पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0-343/2025 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना मोहनलालगंज, लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. **उ0नि0 श्री अतुल सिंह**, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ।
2. **का0 विकास जायसवाल**, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ।
3. **का0 जितेन्द्र**, थाना मोहनलालगंज, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1458

दिनांक-16.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के वांछित 01 आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद।**

01-कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री तरुण गाबा के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा हत्या के प्रयास का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2026 को **श्रीमती सावित्री देवी पत्नी बाबूलाल नि0 उत्तरगांव थाना मोहनलालगंज लखनऊ** द्वारा सूचना दिया गया कि **आज दिनाँक 14/08/2026 समय लगभग 4 बजे** शाम प्रार्थिनी का पति ग्राम उत्तरगांव में कबाडी की दुकान पर बैठा था कि पीछे से प्रार्थिनी का पुत्र शिव कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र बाबूलाल निवासी उपरोक्त ने प्रार्थिनी के पति बाबूलाल पुत्र कन्धई -निवासी उत्तरगांव के ऊपर चाकू निकाल कर गर्दन पर लगातार दो बार चलाकर जान से मार डालने की नियति से लहूलुहान कर दिया जिससे गर्दन पर गहरा घाव हो गया है। प्रार्थिनी का पति मरणासन्न स्थित में विद्दा हास्पिटल हरिकंशगढी में भर्ती है, प्रार्थिनी के पति की स्थित बहुत गंभीर है।

इस सूचना पर तत्काल थाना मोहनलालगंज में **मु0अ0स0 304/26 धारा 109(1) बीएनएस** पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण व गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्य संकलन से घटना सत्य पायी गयी । अभियुक्त घटना कारित करने के पश्चात फरार हो गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 15.08.2026 को मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा समय 20.22 बजे **भीलमपुर से उत्तरगांव जाने वाली नहर पटरी थाना क्षेत्र मोहनलालगंज** से गिरफ्तार किया गया तथा **अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त चाकू** के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया मैंने वह चाकू उत्तरगाँव से मुड़ते भीलमपुर की तरफ आने वाले रास्ते पर ही नहर के किनारे फेंक दिया था। जिसके उपरान्त अभियुक्त के निशादेही पर **घटना में प्रयुक्त चाकू नहर के किनारे की झाड़ियों में से बरामद किया गया**। चाकू पर खून के सूखे धब्बे पाए गए तथा बरामद चाकू को सावधानीपूर्वक कब्जा पुलिस में लिया गया।विधिक कार्यवाही के पश्चात आज दिनांक 16.08.2026 को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

03-पूछताछ अभियुक्त-

मेरा विवाद मेरे पिता से हो गया था। दिनांक 14/08/26 को दोपहर में मेरे पिता मुझे अपशब्द बोले तथा थप्पड़ मार दिये थो तभी मैंने यह तय कर लिया कि आज इन्हें जान से मार देना है। इसी नियत के साथ मैं उत्तर गाँव पक्के रोड से घर पे गया और वहाँ से एक सब्जी काटने वाली चाकू उठा लाया।

रोड पर ही मेरे पिता खड़े थे। मैं उनके पास जाकर उनके गर्दन पर चाकू से जोरदार वार कर दिया तथा दूसरा वार किया लेकिन वह उसके हाथ पर जाकर लगा जिससे वह वहीं गिर गये। जिसके बाद मैं उन्हे मरा हुआ समझकर भाग गया था।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-**शिव कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र** बाबूलाल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम उत्तरगांव थाना मोहनलालगंज लखनऊ। उम्र 40 वर्ष।
व्यवसाय- मोटरसाइकिल रिपेयरिंग।

05- पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0स0 304/26 धारा 109(1) बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ

06- बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह
2. का0 शुभम शर्मा
3. हे0का0 जितेन्द्र सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1460

दिनांक-16.08.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- ***थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा वादी की पुत्री को मेंगो शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले 01आरोपी/ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***

01-कार्यवाही।

दिनांक 14.07.2026 को आवेदिका उम्र करीब 46 वर्ष का प्रार्थना पत्र बावत विपक्षी द्वारा मेंगो शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादी की बहन उम्र करीब 50 वर्ष व वादी की पुत्री उम्र करीब 18 वर्ष को पिला देना तथा वादी की पुत्री के साथ अनैतिक कार्य (दुराचार) करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थनीय पर मु0अ0सं0 337/2026 धारा-123/64(1) बीएनएस बनाम 1. रंजीत सिंह राठौर पुत्र श्री कृष्ण राठौर निवासी फैजुल्लागंज बन्धा के पास लखनऊ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.08.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रंजीत कुमार राठौर उर्फ रंजीत सिंह राठौर पुत्र श्री कृष्ण राठौर निवासी 538क/906ए शिवलोक त्रिवेणीनगर -3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 36 वर्ष को उसके मामा के घर इलसिया ग्रन्ट आनन्द बिहार कालोनी सीतापुर से कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियमानुसार दिनांक 16.08.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया । दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।

03.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त द्वारा मेंगो शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादी की बहन उम्र करीब 50 वर्ष व वादी की पुत्री उम्र करीब 18 वर्ष को पिला देना तथा वादी की पुत्री के साथ अनैतिक कार्य करना।

04.अभियुक्त का विवरण:-

01- **रंजीत कुमार राठौर उर्फ रंजीत सिंह राठौर पुत्र श्री कृष्ण राठौर निवासी 538क/906ए शिवलोक त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 36 वर्ष (व्यवसाय – पत्रकार)**

05.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार
4. का0 दिग्विजय यादव
5. म0का0 अंकिता राय

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1463

दिनांक-16/08/2026

जोन-पश्चिमी/थाना-कैसरबाग

- **थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा दुकान में आग लगाने के प्रकरम में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक **15/08/2026** को वादी मुकदमा श्री मोनिश पुत्र मो0 शरीफ निवासी तालाब गंगनी शुक्ल, मछली मोहाल, थाना कैसरबाग, लखनऊ द्वारा थाना कैसरबाग पर लिखित तहरीर दी गई कि **सैफ राशिद एवं कैफ राशिद द्वारा उनकी दुकान में आग लगा दी गई**, जिससे दुकान में रखा सामान जल गया। तहरीर के आधार पर थाना कैसरबाग पर **मु0अ0सं0-144/2026, धारा 326(G) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

दिनांक **16/08/2026** को मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त **सैफ राशिद पुत्र राशिद सिद्दीकी उर्फ नब्बू, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी जम्बूरखाना, थाना कैसरबाग, लखनऊ** को **इण्डियन ऑयल बिल्डिंग के पास, अलीगंज** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए **रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।**

02-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0-144/2026, धारा 326(G) बीएनएस थाना कैसरबाग लखनऊ।

03-आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0सं0- 200/2024 धारा 307/323/327/354/498ए/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना कैसरबाग लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

01-सैफ राशिद पुत्र राशिद सिद्दीकी उर्फ नब्बू निवासी 107/30 जम्बूरखाना थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री अंजनी कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना कैसरबाग लखनऊ
2. उ0नि0 श्री योगेश चन्देल थाना कैसरबाग लखनऊ
3. का0 राहुल चौधरी थाना कैसरबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1456
दिनांक-16.08.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा बंद मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का किया गया सफल अनावरण, 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **दिनदहाड़े बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का थाना इन्दिरानगर पुलिस ने किया सफल अनावरण।**
- **चोरी करने वाले 05 अभियुक्त एवं चोरी का माल खरीदने वाला 01 अभियुक्त (ज्वैलर्स) गिरफ्तार।**
- **चोरी की 04 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी का माल बरामद।**
- **₹52,400/- नगद एवं सोने-चांदी के आभूषण बरामद।**
- **आला नकब एवं चोरी में प्रयुक्त कार व मोटरसाइकिल बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक **09.06.2026, 14.06.2026, 31.07.2026 एवं 14.08.2026** को थाना इन्दिरानगर क्षेत्र में दिन के समय बंद मकानों में ताला तोड़कर चोरी की घटनाएं घटित हुई थीं, जिनके सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पर क्रमशः **मु0अ0सं0 150/2026, 155/2026, 203/2026 एवं 217/2026 धारा 305(a) बीएनएस** पंजीकृत किए गए थे।

प्रकरण-1

दिनांक **09.06.2026** को वादी श्री यशवन्त सिंह द्वारा दिनांक **08.06.2026 को दिन के समय उनके मकान में हुई चोरी** के सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पर **मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305(a) बीएनएस** पंजीकृत कराया गया।

प्रकरण-2

दिनांक **14.06.2026** को वादी श्री सुमित चौहान द्वारा दिनांक **12.06.2026 को दिन के समय उनके मकान में हुई चोरी** के सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पर **मु0अ0सं0 155/2026 धारा 305(a) बीएनएस** पंजीकृत कराया गया।

प्रकरण-3

दिनांक **31.07.2026** को वादिनी श्रीमती ज्योति सिंह द्वारा दिन के समय उनके मकान में अज्ञात चोर द्वारा की गई चोरी के सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पर **मु0अ0सं0 203/2026 धारा 305(a) बीएनएस** पंजीकृत कराया गया।

प्रकरण-4

दिनांक **14.08.2026** को वादी श्री विशाल शुक्ला द्वारा दिनांक **13.08.2026 को दिन के समय उनके मकान में हुई चोरी** के सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पर **मु0अ0सं0 217/2026 धारा 305(a) बीएनएस** पंजीकृत कराया गया।

घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए दिनांक **15.08.2026** को बादशाहखेड़ा नहर के पास से चोरी की घटनाओं में संलिप्त **05 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उक्त चोरी की घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया तथा उनकी निशानदेही पर **चोरी का माल, आला नकब एवं घटना में प्रयुक्त वाहन** बरामद किए गए।

अभियुक्तों से पूछताछ में चोरी का माल **दुर्गा शंकर वर्मा** को बेचने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उसे भी थाना चौक क्षेत्र स्थित ज्वैलरी की दुकान से गिरफ्तार किया गया। बरामद माल के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-कार्यवाही का विवरण

थाना इन्दिरानगर क्षेत्र में दिन के समय बंद मकानों में चोरी की लगातार प्राप्त हो रही घटनाओं के दृष्टिगत उच्चाधिकारीगण द्वारा प्रभावी रोकथाम एवं पूर्व में घटित घटनाओं के अनावरण हेतु निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरानगर द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

दिनांक **15.08.2026** को थाना इन्दिरानगर की गठित पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि बादशाहखेड़ा नहर के किनारे बने ग्राउण्ड के पास चोरी की घटनाओं में शामिल कुछ व्यक्ति मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई।

पूछताछ एवं जांच के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्तों **1. अर्जुन पाण्डेय उर्फ ईशु पाण्डेय, 2. मोहम्मद सिराज उर्फ राजू, 3. बबलू उर्फ मनोज, 4. अरविन्द यादव उर्फ धरविन्द्र यादव एवं 5. अखिलेश कुमार गौतम** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त आला नकब एवं वाहन बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि चोरी के दौरान प्राप्त माल को थाना चौक क्षेत्र निवासी **दुर्गा शंकर वर्मा** को बेचा गया था। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा थाना चौक क्षेत्र स्थित **वन टंच ज्वैलर्स** की दुकान से दुर्गा शंकर वर्मा को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी के माल की बरामदगी की गई। **सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

03-अपराध का तरीका-

गिरोह द्वारा दिन के समय बंद मकानों की **चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों से रेकी** की जाती थी। घर के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद न होने की पुष्टि के बाद मकान में प्रवेश कर **ताला तोड़कर चोरी** की जाती थी। चोरी किए गए आभूषण एवं अन्य सामान को आगे बेचकर प्राप्त धनराशि का आपस में बंटवारा किया जाता था।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. **अर्जुन पाण्डेय उर्फ ईशु पाण्डेय** पुत्र राजधर पाण्डेय, निवासी पाले का पुरवा, थाना असंधरा, जनपद बाराबंकी, हाल पता भीमनगर कॉलोनी, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष। **(कोई काम नही करता है)**
2. **मोहम्मद सिराज उर्फ राजू** पुत्र रियाज अहमद, निवासी संतपुरम, निकट बिलबिला ताल, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ, मूल निवासी ग्राम निन्दीपुर हसना, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच, उम्र करीब 20 वर्ष। **(मजदूरी करता है)**
3. **बबलू उर्फ मनोज** पुत्र जयप्रकाश, निवासी संतपुरम, निकट बिलबिला ताल, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ, उम्र करीब 48 वर्ष। **(सब्जी बेचने का काम करता है)**
4. **दुर्गा शंकर वर्मा** पुत्र स्व0 श्रीराम वर्मा, निवासी चढ़ाई महुलाल, थाना कोतवाली चौक, लखनऊ, उम्र करीब 56 वर्ष। **(सोने को गलाना का काम करता है)**
5. **अरविन्द यादव उर्फ धरविन्द्र यादव** पुत्र शंकर यादव, निवासी रानीबाजार बेहुरा, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी, हाल पता पत्रकारपुरम डिवाइडर, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 23 वर्ष। **(मजदूरी करता है।)**
6. **अखिलेश कुमार गौतम** पुत्र स्व0 छेदीराम गौतम, निवासी ए-214 संतपुरम कॉलोनी, थाना इन्दिरानगर, लखनऊ, उम्र करीब 38 वर्ष। **(कैब ड्राइवर है)**

05-आपराधिक इतिहास –

गिरफ्तार अभियुक्तों में **बबलू उर्फ मनोज, दुर्गा शंकर वर्मा, अर्जुन पाण्डेय उर्फ ईशु पाण्डेय, मोहम्मद सिराज उर्फ राजू, अरविन्द यादव उर्फ धरविन्द्र यादव एवं अखिलेश कुमार गौतम** के विरुद्ध थाना इन्दिरानगर सहित अन्य थानों पर पूर्व के अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है।

अभियुक्त बबलू उर्फ मनोज पुत्र जयप्रकाश –

1. मु0अ0सं0 0126/2019 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली चिनहट लखनऊ
2. मु0अ0सं0 198/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली चिनहट लखनऊ
3. मु0अ0सं0 224/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली चिनहट लखनऊ
4. मु0अ0सं0 283/2023 धारा 454/380/411 भादवि थाना कोतवाली चिनहट
5. मु0अ0सं0 296/223 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली चिनहट लखनऊ
6. मु0अ0स0 0379/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना महानगर लखनऊ
7. मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305(a) /317(2)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
8. मु0अ0सं0 155/2026 धारा 305(a) /317(2)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
9. मु0अ0सं0 203/2026 धारा 305(a) /317(2)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
10. मु0अ0सं0 217/2026 धारा 305(a) /317(2)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

दुर्गा शंकर वर्मा पुत्र स्व0 श्रीराम वर्मा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305(a) /317(2) /317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 155/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 203/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 217/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

अर्जुन पाण्डेय उर्फ ईशु पाण्डेय पुत्र राजधर पाण्डेय का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305(a) /317(2) /317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 203/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 217/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

मोहम्मद सिराज उर्फ राजू पुत्र रियाज अहमद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305(a) /317(2) /317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 203/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 155/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 217/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

अरविन्द यादव उर्फ धरविन्द्र यादव पुत्र शंकर यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 217/2026 धारा 305(a) /317(2)/ 317(4)बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

अखिलेश कुमार गौतम पुत्र स्व0 छेदीराम गौतम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 203/2026 धारा 305(a) /317(2) बीएनएस, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

06-बरामदगी –

- 01 अदद चैन पीली धातु
- 02 अदद टप्स पीली धातु
- 05 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 05 अदद सिक्के सफेद धातु
- 01 अदद टूटा हुआ लॉकेट पीली धातु
- 01 अदद अंगूठी पीली धातु
- **नगद ₹52,400/-**
- **छैनी, प्लास, सब्बल, हथौड़ी, कुल्हाड़ी आदि आला नकब**

चोरी की घटना में प्रयुक्त वाहन –

- हुंडई ओरा कार संख्या UP32TN 9116
- हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP32RS 6678

07-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण

1. **मु0अ0सं0 150/2026** धारा 305(a)/317(2) बीएनएस, थाना इन्दिरानगर
2. **मु0अ0सं0 155/2026** धारा 305(a)/317(2) बीएनएस, थाना इन्दिरानगर
3. **मु0अ0सं0 203/2026** धारा 305(a)/317(2) बीएनएस, थाना इन्दिरानगर
4. **मु0अ0सं0 214/2026** धारा 305(a) बीएनएस, थाना इन्दिरानगर

08- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर लखनऊ-

1.श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरानगर	8.उ0नि0 श्री सर्वेश मौर्या
2.उ0नि0 उ0नि0 श्री संजय कुमार भारद्वाज	9.उ0नि0 श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा
3.उ0नि0 श्री राजकुमार कनौजिया	10.उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव
4.उ0नि0 श्री विकास कुमार सिंह	11. उ0नि0 श्री गौरव कुमार
5.उ0नि0 श्री शशि कपूर	12.का0 सुनील कुमार
6.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह	13.का0 रितेश कुमार पटेल
7.उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह	14 का0 संजीव कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1457

दिनांक-16.08.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-चौक लखनऊ

थाना चौक पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की बिक्री / परिवहन करने वाले 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 12 बोतल अंग्रेजी शराब व रू0 2,000/- नगद बरामद

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.08.2026 को स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा चलाये जा रहें चेकिंग अभियान के दृष्टिगत थाना चौक पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर नानावेज चौराहे के सामने गली में दबिश देकर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रखने एवं बिक्री करने वाले 03 अभियुक्त **1. विजय बहादुर उर्फ खुशीराम** पुत्र स्व0 मिठ्ठूलाल निवासी 454/138 काशी विहार, दौलतगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ उम्र लगभग 35 वर्ष, 2**. सिकन्दर** पुत्र रामकुबेर निवासी मूल पता- बरामदपुर लौहरा, थाना महरूआ जनपद अम्बेडकरनगर, हाल पता 454/138 काशी विहार, दौलतगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ उम्र लगभग 31 वर्ष, 3. **अखिलेश निषाद** पुत्र विजय बहादुर, निवासी 454/138 काशी विहार, दौलतगंज, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ , उम्र लगभग 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तोगण के कब्जे से कुल 12 बोतल अंग्रेजी शराब (MOUNTAIN OAK WHISKY, 180 ML) तथा रू0 2,000/- नगद बरामद किया गया। बरामद शराब एवं नकदी को नियमानुसार कब्जे में लेकर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 183/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम, पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगम के विरूद्ध अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1. मु0अ0सं0 183/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चौक लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. **विजय बहादुर उर्फ खुशीराम** पुत्र स्व0 मिठ्ठूलाल निवासी 454/138 काशी विहार, दौलतगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ उम्र लगभग 35 वर्ष,
2. **सिकन्दर** पुत्र रामकुबेर निवासी मूल पता- बरामदपुर लौहरा, थाना महरूआ जनपद अम्बेडकरनगर, हाल पता 454/138 काशी विहार, दौलतगंज, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ उम्र लगभग 31 वर्ष,
3. **अखिलेश निषाद** पुत्र विजय बहादुर, निवासी 454/138 काशी विहार, दौलतगंज, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ , उम्र लगभग 19 वर्ष

04-बरामदी का विवरण-

1. 12 बोतल MOUNTAIN OAK WHISKY, प्रत्येक 180 ML
2. रू0 2,000/- नगद

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना चौक लखनऊ
2. उ0नि0 जयकृष्ण द्विवेदी, चौकी प्रभारी चौक थाना चौक लखनऊ
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार पाण्डेय थाना चौक लखनऊ
4. का0 परम सिंह थान चौक लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1459

दिनांक-16.08.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी,
थाना बीकेटी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.07.2026 को **वादी श्री धीरज पुत्र स्व0 पुत्तीलाल, निवासी भिटहरी पोस्ट गोयला, थाना चिनहट**, जनपद लखनऊ द्वारा थाना बीकेटी पर तहरीर दी गई कि उनकी बड़ी बहन प्रीति गौतम पत्नी अरूण कुमार, निवासी ग्राम नगुवामऊ कला, पोस्ट अस्ती, थाना बीकेटी, लखनऊ की उसके ससुरालीजनों द्वारा हत्या कर गले में फंदा डालकर पंखे से लटका दिया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर **थाना बीकेटी पर मु0अ0सं0 0281/2026, धारा 80(2)/85/352/351(3) बीएनएस एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।** प्रकरण की विवेचना प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त, बीकेटी द्वारा संपादित की जा रही है।

विवेचना के क्रम में **दिनांक 20.07.2026 को मृतका प्रीति गौतम के पति अरूण कुमार पुत्र जंगबहादुर, को गिरफ्तार कर जिला कारागार में निरुद्ध कराया जा चुका है।**

आज दिनांक 16.08.2026 को मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्तगण ग्राम नगुवामऊ कला अण्डरपास, रिंग रोड के पास मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों अभियुक्तों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों को उनके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए नियमानुसार आज दिनांक 16.08.2026 को समय लगभग 11:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार किया गया।

03- अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 0281/2026 धारा 80(2)/85/352/351(3) बीएनएस व 3/4 DP ACT थाना बीकेटी, लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

01-जंगबहादुर पुत्र स्व0 सोहनलाल, निवासी ग्राम नगुवामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ, उम्र करीब 50 वर्ष

02-कंचना लता पत्नी स्व0 सोहनलाल, निवासी ग्राम नगुवामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ, उम्र करीब 70 वर्ष

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

1. उ0नि0 अभिमन्यु शाह थाना बीकेटी, लखनऊ
2. का0 अंशु कुमार थाना बीकेटी, लखनऊ
3. म0का0 रूबी पाराशरी थाना बीकेटी, लखनऊ